



न्यायालय श्रीकास म०प०राजस्व मण्डल ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू.सं./2017/3554

1. गोविन्दलाल
2. रामनरेश
3. राजेश कुमार तीनों के पिता चन्द्रिका प्रसाद सभी नि०ग्राम मनकहरी तह०

हुजूर जिला रीवाम०प०

--- आवेदकगण

बनाम्

बेवा कला वती पुत्री चन्द्रिका प्रसाद पत्नी बैजनाथ दुवे नि०किट्टा तह०रामपुर

बाघेलान उप तहसील कोटर जिला सतना म०प०

-- अनावेदिका

श्री. मुकेश चारिव लॉफो  
द्वारा आज दि. 27-9-17 को  
प्रस्तुत

कलकत्ता  
राजस्व मण्डल  
27-9-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.पू.भू-रा.सं.  
निगरानीविस्द आज्ञा श्री अनुविभागीय अधिकारी  
क्षेत्र हुजूर जिला रीवा म०प० बावत् रा.मामला क्र.  
20546/अपील/2012-13 ~~आदेश दि. 10/9/2017~~

आदेश दि. 2/8/2017

W3  
मुकेश शर्मा सि  
27-9-17 पडवाकोट  
ग्वालियर  
मान्यवर,  
CR-4-10-17

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

§ 18 यह कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

§ 28 यह कि अपीलार्थिचा चन्द्रिका की अकेले पत्नी नहीं है बल्कि चन्द्रिका की

142

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक ~~205/37-6/3~~ 17/3554

गोविन्दलाल/नरसिमावती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08/05/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>मुल्काश</u> <u>मावोव</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी-<u>हुजूर</u> (<u>र.वा.</u>) के प्रकरण क्रमांक <u>205/37-6/3</u> में पारित आदेश दिनांक <u>2-8-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>र.वा.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>र.वा.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>lmw</u> सदस्य</p>	

HT